



बैंक ऑफ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)

Bank of Baroda
(A Government of India Undertaking)

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 1998-99




Report Junction



the world - our family

वसुधैव कुटुम्बकम्



निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTOR

वसुधैव - कुटुंबकम्
the world - our family



श्री के. कन्नन,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri K. Kannan
Chairman & Managing
Director

शताब्दियों पूर्व लिखी गयी संस्कृत की यह सूक्ति आज के संदर्भ में अधिक सार्थक सिद्ध होती है. बैंक ऑफ बड़ौदा का परिवार आज सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है, जिसमें इसके ग्राहक, शेयरधारक और कर्मचारी शामिल हैं. यह वह परिवार है जो एक स्नेहपूर्ण समन्वित-संस्कृति के बंधन में बंधा है और व्यापक तकनीक के माध्यम से समुद्र-पार भी परस्पर जुड़ा हुआ है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने परिवार के सुदृढ़ विश्वास एवं पारस्परिक सृज-वृद्ध के साथ नई सहस्राब्दि के मुप्रभात में प्रवेश करने की तैयारी की है और इसकी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भरपूर विश्वास दिलाया है.

आज, यही वह परिवार है जो बैंक की शक्ति है. यही वह परिवार है जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा आगामी सहस्राब्दि में ले जाना चाहता है.

This Sanskrit saying, penned down centuries ago, is more true today than ever before. Bank of Baroda's family is today spread across the entire world, consisting as it does of customers, shareholders, and employees. A family that is bound together by ties of a common culture of warmth and caring - and linked across the oceans by networks of technology.

Preparing for the dawn of a new millennium, Bank of Baroda has built strong ties of trust and care with its family, understanding and caring for their needs - today and in the future.

Today, it is this family that is the strength of BOB. It is this family that Bank of Baroda seeks to carry into the next millennium.



श्री पी.एस. शर्मा
कार्यकारी निदेशक
Shri P.S. Shenoy
Executive Director



श्री एस.के. न्यूले
Shri S.K. Newlay



प्रो. अब्रार अहमद
Prof. Abrar Ahmad



श्री ए. रघुराम
Shri A. Raghuram



श्री मिलिन्द नाडकर्णी
Shri Milind Nadkarni



श्री एम. दामोदरन
Shri M. Damodaran



प्रो. कान्ता आहुजा
Prof. Kanta Ahuja



श्री सलामत उर
Shri Salamat



श्री एन.एस. अग्रवाल
Shri N.S. Agarwal



श्री पी.एन. शाह
Shri P.N. Shah



श्री पी.एन. देवराजन
Shri P.N. Devarajan



श्री कृष्णस्व
Shri Krishan Sw.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड,
मुंबई - 400 021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF
INDIA, MUMBAI - 400 021

निवेशकों के हितों में उनकी जानकारी के लिए सुलभ संदर्भ-पुस्तिका

A QUICK REFERENCE GUIDE FOR INVESTORS

प्रिय निवेशक,

Dear Investor,

अब आप एक सूचीबद्ध कंपनी के साझेदार बन गए हैं, हम आपका प्रतिभूति बाजार में स्वागत करते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति-बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के अपने निर्धारित उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

Now that you have become a stakeholder in a listed company, we welcome you to the securities market. Securities and Exchange Board of India, a statutory body constituted by the Government of India, stands committed to the assigned objective of protecting investors in the securities market.

संपूर्ण, सही एवं समुचित सूचना पहुंचाना हमारे परिचालनात्मक सिद्धान्त का केन्द्रबिन्दु है। इस दिशा में अपने प्रयासों के क्रम में हमने आपको निम्नलिखित के संबंध में जानकारी देना उपयुक्त एवं सम्योचित समझा है :

Ensuring disclosure of full, fair and adequate information has been the hallmark of our regulatory principle. In continuation of our efforts in that direction, we thought it fit and timely to write to you making you aware of :

- कंपनी के साझेदार के रूप में आपके अधिकार,
- आपके उत्तरदायित्व,
- आपके द्वारा उठाए जानेवाले जोखिम,
- प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग एवं अंतरण की प्रक्रियाएं,
- संभावित समस्याओं के निराकरण के उपाय.

- the rights that you have as a stakeholder in a company,
- the responsibilities that are cast on you,
- the risks that you have assumed,
- the procedures relating to trading and transfer of the securities and
- the remedies for problems that you may encounter.

हमें आशा है कि कभी भी किसी प्रश्न के उठने पर यह सामग्री आपको संक्षेप में ही सही, समुचित दिशानिर्देश देगी। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए आप अपने दलाल, स्टॉक एक्सचेंज के सेवा केन्द्रों एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के 'निवेशक मार्गदर्शन प्रभाग' से संपर्क कर सकते हैं।

We hope that this material will give you appropriate guidance, though in brief, whenever you have a question in your mind. For detailed guidance, you may approach your broker, the investor service centres of the stock exchanges, and of course, the Investor Guidance Division of the Securities and Exchange Board of India.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

जोखिमों पर एक नजर

निश्चय ही, आपने कंपनी के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन, उससे संभावित आय और/या आपके पास मौजूद प्रतिभूति की पूंजी - संवृद्धि, संभावित कारपोरेट लाभों आदि पर विचार करते हुए इनसे संबंधित अपेक्षाओं के तहत ही निवेश किया है।

स्वाभाविक है कि आपने निवेश का निर्णय लेते समय इन अपेक्षाओं के साथ विद्यमान जोखिमों को नोट किया होगा व विधिवत् मूल्यांकन भी किया होगा।

आपको याद होगा कि ऐसी जोखिमों में एक जोखिम यह भी है कि आपकी आय और/या वृद्धि से सम्बन्ध आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं भी हो सकती हैं।

आप यह भी जानते होंगे कि यदि आप ऋणालिखतों को निवेशक हैं, तो उन्हें निस्तारित करने के लिए आप बाजार के अलावा कंपनी के विरुद्ध भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु कंपनी के इक्विटी-धारक के रूप में, ऐसे निवेशों की मूल्य-प्राप्ति के लिए आपको केवल (शेयर) बाजार का ही सहारा प्राप्त होगा।

आप यह भी जानते होंगे कि विनिवेश के कारण आपको पूंजीगत हानि भी हो सकती है। साथ ही, आपने यह भी नोट किया होगा कि उपरोक्त निवेश जोखिमों के अलावा आपको प्रतिभूतियों के लेन-देन एवं अंतरण से संबंधित जोखिमों का सामना भी करना पड़ सकता है।

आपके अधिकार

कंपनी के शेयर धारक के रूप में आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

- आवंटन या अंतरण पर जैसी भी स्थिति हो, नियत समय में शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन, तुलन-पत्र, लाभ हानि खाला एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करना।
- स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सामान्य बैठक में भाग लेना एवं वोट देना।
- सामान्य बैठक में एक बार अनुमोदित होने के पश्चात् लाभांश नियत समय में प्राप्त करना।
- एक बार अनुमोदित होने पर कारपोरेट लाभ जैसे राइट्स, बोनस इत्यादि प्राप्त करना।
- 'कंपनी लॉ बोर्ड' को वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने या उसे निर्देश देने हेतु आवेदन करना।
- सामान्य बैठक की कार्यवृत्त-पुस्तिका की जांच एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करना।
- सिविल या आपराधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करना।
- कंपनी के बंद किए जाने के लिए आवेदन।
- अवशिष्ट प्राप्ति का ग्रहण करना।

उपरोक्त अधिकारों, जिन्हें आप शेयरधारक के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपभोग करते हैं, के अलावा आप निम्नलिखित अधिकारों का समूह के रूप में भी उपभोग कर सकते हैं :

- असाधारण सामान्य बैठक की मांग।
- किसी प्रस्ताव पर मतदान की मांग।
- कंपनी के मामलों की जांच के लिए कंपनी लॉ बोर्ड में आवेदन करना।
- उर्पाइन और/या कृपबंधन के मामलों में मदद हेतु कंपनी लॉ बोर्ड को आवेदन करना।

डिवेंचर धारक के रूप में आपके निम्न लिखित अधिकार हैं :

- नियत समय से व्याज प्राप्ति/शोधन
- अनुरोध करने पर न्यास विलेख की प्रति प्राप्त करना
- यदि कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहती है, तो इसे बंद किए जाने हेतु आवेदन करना।
- डिवेंचर के ट्रस्टी को अपनी शिकायतें पहुंचाना।

आप नोट कर लें कि उपरोक्त अधिकारों का अपने आप में पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणस्वरूप प्रतिभूतियों के अंतरण का अधिकार, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी के 'अंतरण को अम्बीकार' करने के अधिकार के अधीन है।

आपके उत्तरदायित्व

यह आपके लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है कि कंपनी के साझेदार के रूप में आपके

Risk Revisited

When you invested, you did so with certain expectations about the performance of the company, the prospects of income from and/or the capital growth of the securities that you now hold, the corporate benefits that may accrue to you etc.

While making that investment decision, you should have, obviously, taken note of and duly evaluated the attendant risks that go with such expectations.

You would remember that one such risk is that your expectations on income and/or growth may not materialise.

You would also recall that if you are an investor in the debt instruments, you can have recourse against the company, besides the market, for redeeming them. But, as an equity holder of a company, in order to realise the value of such investment, you have recourse only to the market.

And you would recollect that the dis-investment may result in capital losses also.

Further, you would have also noted that apart from the above mentioned investment risks, you also face the risk of running into problems with the trading and transfer of the securities.

Your Rights

As a shareholder in a company, you enjoy certain rights, which are as follows :

- to receive the share certificates, on allotment or transfer as the case may be, in due time.
- to receive copies of the abridged Annual Report, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Auditor's Report.
- to participate and vote in General Meetings either personally or through proxies.
- to receive Dividends in due time once approved in General Meetings.
- to receive corporate benefits like rights, bonus etc. once approved.
- to apply to Company Law Board (CLB) to call or direct the Annual General Meeting.
- to inspect the minute books of the General Meetings and to receive copies thereof.
- to proceed against the company by way of civil or criminal proceedings.
- to apply for the winding-up of the company.
- to receive the residual proceeds.

Besides the above rights which you enjoy as an individual shareholder, you also enjoy the following rights as a group

- to requisition an Extra-ordinary General Meeting.
- to demand a poll on any resolution.
- to apply to CLB to investigate the affairs of the company.
- to apply to CLB for relief in cases of oppression and/or mismanagement.

As a debenture-holder, you have the right

- to receive interest/redemption in due time.
- to receive a copy of the trust deed on request.
- to apply for winding up of the company if the company fails to pay its debt.
- to approach the Debenture trustee with your grievance.

You may note that the above mentioned rights may not necessarily be absolute. For example, the right to transfer securities is subject to the company's right to refuse transfer as per statutory provisions.

पास अनेक अधिकार हैं, परन्तु इससे आपको आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करना है, जैसे :

- सूचना प्राप्त करते रहना
- सतर्क रहना
- सामान्य बैठक में भाग लेना एवं वोट देना
- अपने अधिकारों का स्वयं एवं समूह के रूप में उपयोग करना.

प्रतिभूतियों का लेन-देन

आपको अपनी प्रतिभूतियों को, अपने द्वारा चुने गए समय एवं मूल्य पर बेचने का अधिकार होगा, आप ऐसा निजी तौर पर, किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कर सकते हैं. इसी प्रकार अपने इच्छित समय एवं मूल्य पर आपको किसी से या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों को खरीदने का अधिकार होगा.

प्रतिभूतियों की कोई बिक्री या खरीद चाहे वह सीधे आपके द्वारा की गई हो या एक्सचेंज के माध्यम से हुई हो, सारा लेन देन एक वैध, विधिवत् भरे हुए एवं स्टांपयुक्त अंतरण-विलेख द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए.

यदि आप अन्य व्यक्ति के साथ सीधे सौदा (खरीद या बिक्री) करना चाहते हैं, तब आप काउंटर-पार्टी-जोखिम अर्थात् पार्टी के द्वारा कार्यनिष्पादन न किए जाने के जोखिम के शिकार होते हैं. यदि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सौदा करते हैं, तो यह काउंटर-पार्टी जोखिम, स्टॉक एक्सचेंज क्रियाविधि द्वारा प्रदत्त लेने-देने-निपटान-प्रत्याभूति के कारण कम हो जाता है. इसके अलावा आपको अपने दलाल द्वारा की जानेवाली चूकों से भी कुछ सुरक्षाएं प्राप्त हैं.

जब आप किसी एक्सचेंज के माध्यम से परिचालन करते हैं, तो आपको उस समय सौदे के लिए विद्यमान अधिकतम मूल्य एवं समय पर राशि या शेयर प्राप्त करने का अधिकार है. आपको दलाल से लेन-देन की पुष्टि करनेवाला एवं उसके आवश्यक विवरण दर्शाने वाला संविदा-नोट प्राप्त करने का भी अधिकार है. आपको अच्छी सुपुर्दगी पाने एवं दोषपूर्ण सुपुर्दगी को ठीक करवाने के लिए आग्रह करने का अधिकार है. यदि आपका दलाल के साथ कोई विवाद हो जाए तो इसे आप एक्सचेंज के संरक्षण में मध्यस्थता द्वारा सुलझा सकते हैं.

यदि आप किसी एक्सचेंज के माध्यम से परिचालन करने का निर्णय लेते हैं तो आपको 'सेबी' में पंजीकृत दलाल/उप दलाल की सेवाएं लेनी होंगी. आपको दलाल-मुक्किल-करार करना पड़ेगा एवं मुक्किल-पंजीकरण-फार्म फाईल करना पड़ेगा. चूंकि संविदा-नोट कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेज है, आपको इसे निश्चय ही प्राप्त कर लेना चाहिए. बिक्री के मामले में आप शेयरों को सही समय पर सुपुर्द करने एवं खरीद के मामले में निर्धारित समय के अंदर भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे. आपके द्वारा प्रतिभूतियों की दोषपूर्ण सुपुर्दगी के संदर्भ में आपका यह दायित्व होगा कि आप उन्हें ठीक कर दें या उनके स्थान पर अच्छी प्रतिभूतियां दें.

प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रतिभूतियों के अंतरण से आशय है कि निजी तौर या एक्सचेंज के माध्यम से सम्पन्न लेन-देन संबंधी प्रतिभूतियों के स्वामित्व के अधिकार-परिवर्तन को कंपनी ने अपनी बहियों में दर्ज कर लिया है.

अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रतिभूतियां, कंपनी के पास अंतरणकर्ता (विक्रेता) एवं अंतरिती (क्रेता) द्वारा या उन की ओर न विधिवत् हस्ताक्षरित वैध, विधिवत् निष्पादित एवं स्टांपयुक्त अंतरण-विलेख के साथ भेजी जानी चाहिए. अच्छा होगा अगर प्रतिभूतियां एवं अंतरण-विलेख को कंपनी के पास भेजते समय उनकी फोटोप्रतियां अपने पास रखी ली जाएं. इन्हें रजिस्टर्ड डाक से पावती-कार्ड के साथ ही भेजें एवं पावती-कार्ड की प्राप्ति हेतु सचेत रहें. अगर आपको युक्तिसंगत अवधि जैसे कि दस महीने के भीतर प्राप्ति की सूचना नहीं मिलती है तो आप तुरंत डाक-प्राधिकारियों से पुष्टि हेतु संपर्क करें. कृपया नोट कर लें कि डाक प्राधिकारी आपके द्वारा तीन महीने के भीतर संपर्क करने पर ही पुष्टि प्रदान कर सकते हैं.

कभी-कभी अपनी सुविधा से आप प्रतिभूतियों के शीघ्र अंतरण न किए जाने का तरीका भी चुन सकते हैं. इससे प्रतिभूतियों की आसानी एवं शीघ्रता से बिक्री में मदद मिलेगी. इस संदर्भ में आप ध्यान रखें कि अंतरण विलेख वैध रहें. तथापि कारपोरेट-लाभों जैसे

Your Responsibilities

While you may be happy to note that you have so many rights as a stakeholder in the company, that should not lead you to complacency; because you have also certain responsibilities to discharge. To be specific,

- to remain informed
- to be vigilant
- to participate and vote in general meetings
- to exercise your rights on your own or as a group.

Trading of Securities

You have the right to sell the securities that you hold at a price and time that you may choose. You can do so personally with another person or through a recognised stock exchange. Similarly you have the right to buy securities from anyone or through a recognised stock exchange at a price and time of your choice.

Whether it is a sale or purchase of securities, effected directly by you or through an exchange, all trades should be executed by a valid, duly completed and stamped transfer deed.

If you choose to deal (buy or sell) directly with another person, you are exposed to counter party risk, i.e., the risk of non-performance by that party. However, if you deal through a stock exchange, this counter party risk is reduced due to trade/settlement guarantee offered by the stock exchange mechanism. Further, you also have certain protections against defaults by your broker.

When you operate through an exchange, you have the right to receive the best price prevailing at that time for the trade and the right to receive the money or the shares on time. You also have the right to receive a contract note from the broker confirming the trade and indicating the necessary details of the trade. You also have the right to receive good delivery and the right to insist on rectification of bad delivery. If you have a dispute with your broker, you can resolve it through arbitration under the aegis of the exchange.

If you decide to operate through an exchange, you have to avail the services of a SEBI registered broker/sub-broker. You have to enter into a broker-client agreement and file a client registration form. Since the contract note is a legally enforceable document, you should insist on receiving it. You have the obligation to deliver the shares in case of sale or pay the money in case of purchase within the time prescribed. In case of bad delivery of securities by you, you have the responsibility to rectify them or replace them with good ones.

Transfer of securities

Transfer of securities mean that the company has recorded in its books, a change in the title of ownership of the securities effected either privately or through an exchange transaction.

To effect a transfer, the securities should be sent to the company along with a valid, duly executed and stamped transfer deed duly signed by or on behalf of the transferor (seller) and transferee (buyer). It would be a good idea to retain photo-copies of the securities and the transfer deed when they are sent to the company for transfer. It is essential that you send them by registered post with acknowledgement due and watch out for the receipt of the acknowledgement card. If you do not receive the confirmation of receipt within a reasonable period, say within two months, you should immediately approach the postal authorities for confirmation. Please note that, postal authorities will be able to provide confirmation only if you approach them within three months.

Sometimes, for your own convenience, you may choose not to transfer the securities immediately. This may facilitate easy and quick selling of the securities. In that case you should take care that the transfer deed remains valid. However, in order to avail the corporate benefits like the Dividends, Bonus or Rights from the company, it is essential that you get the securities transferred in your name.

लाभांश, बोनस, कंपनी से राईट्स की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि आप अपने नाम पर प्रतिभूतियों का अंतरण करा लें।

अंतरण हेतु आपके अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, कंपनी कानूनी-प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए कार्रवाई करती है। अगर वे अंतरण करने में अक्षम रहते हैं, तो कंपनी अंतरण न हो सकने के कारणों का ब्यौरा देते हुए प्रतिभूतियों को लौटा देती है। इसे 'कंपनी आपत्ति' के रूप में जाना जाता है।

यदि आपको अंतरण संबंधी 'कंपनी आपत्ति' प्राप्त होती है, तो आपको गलतियों/खामियों को ठीक करवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिभूतियों को ठीक कराने या उनके प्रतिस्थापन हेतु आप अंतरणकर्ता (विक्रेता) से सीधे या अपने दलाल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब आप प्रतिभूतियों एवं अंतरण-विलेख को अंतरण के लिए कंपनी को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

अगर आप गलतियों को ठीक कराने या उन्हें प्रतिस्थापित कराने में अक्षम रहते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से विक्रेता एवं उसके दलाल से राशि प्राप्त कर सकेंगे। तथापि, यदि आपने मूलतः विक्रेता से सीधे सौदा किया है तब आपको विक्रेता से ही सीधे मामला निपटाना होगा।

किसी समय आपकी प्रतिभूतियां गुम हो सकती हैं या अन्यत्र रखी जा सकती है, तब आपको तत्काल कंपनी के रिकार्ड में प्रतिभूतियों का 'अंतरण-रोक' दर्ज करा देना चाहिए और साथ ही साथ अनुलिपि (डुप्लिकेट) प्रतिभूतियों के जारी किये जाने हेतु आवेदन कर देना चाहिए। अंतरण-रोक को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी आपसे कोर्ट-आदेश या पुलिस के पास दर्ज एफ.आई.आर की प्रति प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। पुनः आपकी डुप्लिकेट (अनुलिपि) जारी करने के लिए कंपनी सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा आपसे क्षतिपूर्ति-बॉन्ड, शपथपत्र, जमानत इत्यादि प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। आपको, अपने हित की सुरक्षा के लिए इन अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा।

कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिभूतियां, चाहे आपके द्वारा कंपनी को या कंपनी द्वारा आपको भेजे जाते समय मार्ग में ही गुम हो जाएं। अतः आपको सजग रहना चाहिए एवं कंपनी को प्रतिभूति भेजे जाने के एक महीने के अंदर पुनः सूचित करना चाहिए, जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा भेजी गई प्रतिभूतियां कंपनी को नहीं मिली हैं या कंपनी द्वारा भेजी गई प्रतिभूतियां आपको प्राप्त नहीं हुई हैं। तो आपको कंपनी से शीघ्र 'अंतरण-रोक' दर्ज करने का अनुरोध करना चाहिए एवं इनकी अनुलिपि प्रतियां जारी करने हेतु आवेदन करना चाहिए।

डिपोजिटरी एवं प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण (डिमाटेरियलाइजेशन)

परंपरागत रूप से शेयर प्रत्यक्ष या पेपर के रूप में रखे जाते हैं। इस पद्धति में अंतर्निहित अपनी ही कमजोरियां हैं जैसे प्रमाणपत्रों का खो जाना/चुरा लिया जाना, जाली/नकली प्रमाणपत्र, शेयर-अंतरण आदि की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रियाएं, अतः इन कमजोरियों के निराकरण हेतु एक नयी प्रणाली - डिपोजिटरी प्रणाली स्थापित की गयी है।

'डिपोजिटरी' एक ऐसी प्रणाली है जो आपके शेयर इलैक्ट्रॉनिक खाते के रूप में उसी तरह रखती है, जिस तरह बैंक आपके बचत खाते में आपकी जमाशियों को रखता है।

डिपोजिटरी प्रणाली निवेशकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है :

- आपके शेयर न तो कहीं खो सकते हैं, न उन्हें चुराया जा सकता है और न ही वे कट-फट सकते हैं।
- आपको, अपने शेयरों की प्रामाणिकता, वे नकली हैं या जाली, के बारे में संदेह करने की जरूरत नहीं रहेगी।
- अंतरण, प्रेषण इत्यादि जैसे शेयर-लेने-देने की कार्यवाही तत्काल की जा सकती है।
- लेन-देन-लागत भी प्रत्यक्ष रूप से किए जानेवाले कारोबार से सामान्यतः कम पड़ती है।
- दोषपूर्ण सुपुर्दगी का कोई जोखिम नहीं है।
- आपको ऑर्बिटल बोनस/राईट्स शेयर तत्काल आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे।
- आपको अपने खाते में किए गए लेनदेन/संपत्ति की आवधिक रूप से विवरणी प्रदान की जाएगी।

On receipt of your request for transfer, the company proceeds to transfer, the securities as per provisions of the law. In case they cannot effect the transfer, the company returns back the securities giving details of the grounds under which the transfer could not be effected. This is known as Company Objection.

When you happen to receive a company objection for transfer, you should proceed to get the errors/discrepancies corrected. You may have to contact the transferor (the seller) either directly or through your broker for rectification or replacement with good securities. Then you can resubmit the securities and the transfer deed to the company for effecting the transfer.

In case you are unable to get the errors rectified or get them replaced, you have recourse to the seller and his broker through the stock exchange to get back your money. However, if you had transacted directly with the seller originally, you have to settle the matter with the seller directly.

Sometimes, your securities may be lost or misplaced. You should immediately request the company to record a stop transfer of the securities and simultaneously apply for issue of duplicate securities. For effecting stop transfer, the company may require you to produce a court order or the copy of the FIR-filed by you with the Police. Further, to issue duplicate securities to you, the company may require you to submit indemnity bonds, affidavit, sureties etc. besides issue of a public notice. You have to comply with these requirements in order to protect your own interest.

Sometimes, it may so happen that the securities are lost in transit either from you to the company or from the company to you. You have to be on your guard and write to the company within a month of your sending the securities to the company. The moment it comes to your notice that either the company has not received the securities that you sent or you did not receive the securities that the company claims to have sent to you, you should immediately request the company to record stop transfer and proceed to apply for duplicate securities.

Depository and Dematerialisation

Shares are traditionally held in physical or paper form. This method has its own inherent weaknesses like loss/theft of certificates, forged/fake certificates, cumbersome and time consuming procedure for transfer of shares etc. Therefore, to eliminate these weaknesses, a new system called Depository System has been established.

A depository is a system which holds your shares in the form of electronic accounts in the same way a bank holds your money in a savings account.

Depository System provides the following advantages to an investor.

- Your shares cannot be lost or stolen or mutilated.
- You never need to doubt the genuineness of your shares i.e., whether they are forged or fake.
- Share transactions like transfer, transmission etc. can be effected immediately.
- Transaction costs are usually lower than on the physical segment.
- There is no risk of bad delivery.
- Bonus/Rights shares allotted to you will be immediately credited to your account.
- You will receive the statement of accounts of your transactions/holdings periodically.

When you decide to have your shares in electronic form, you should approach a Depository Participant (DP) who is an agent of the depository and open an account. You should surrender your share

यदि आप चाहते हैं कि आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहें तो खाता खोलने के लिए डिपोजिटरी के प्रतिनिधि डिपोजिटरी-सहभागी (डीपी) से संपर्क करें। आप अपने शेयर प्रमाणपत्र डीपी के पास प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करें और आपका डीपी इन्हें कंपनी के पास भेजने एवं उनके द्वारा सत्यापित करवाने की व्यवस्था करेगा एवं पृष्टि होने के पश्चात् आपके खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर देगा। इस प्रक्रिया को डिमैटेरियलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। आप जब भी चाहें इसकी विपरीत प्रक्रिया से अपने शेयरों को पेपर-प्रारूप में पुनः बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को 'रि-मैटेरियलाइजेशन' कहा जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर्स-सौदे (जैसे बिक्री या खरीद और अंतरण/प्रेषण इत्यादि) ज्यादा सरलता एवं शीघ्रता से निपटारा जा सकते हैं। आपको बस यही करना है कि दलाल से बिक्री/खरीद की पुष्टि के पश्चात् अपने 'डीपी' से सौदों के लिए खाते में नाम/जमा करने हेतु संपर्क करें। तब 'डिपोजिटरी' आपके खाते को अद्यतन बनाते हुए इस लेन-देन को तत्काल पूरा करने की व्यवस्था करेगी। अंतरण को दर्ज करने के लिए कंपनी से अलग से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है।

शिकायत-निवारण

कभी-कभार आपको उस कंपनी, जिसके आप साझीदार हैं, से शिकायतें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको आबंटित या अंतरित शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न हुए हों, यह भी हो सकता है कि आपने लाभांश/व्याज-पत्र या वापसी आदेश प्राप्त न किया हो, संभवतः आपको वार्षिक खाते इत्यादि भी न मिले हों, आपने इस संबंध में पहले कंपनी से संपर्क किया हो परंतु कंपनी के जवाब से आप संतुष्ट न हों, तब आप जानना चाहेंगे कि शिकायत दूर करने के लिए किससे संपर्क करें। निम्नलिखित सारणी इस संबंध में आपको दिशानिर्देश प्रदान करेगी।

शिकायत की प्रकृति	सम्पर्क-प्राधिकारी
किसी भी सार्वजनिक निर्गम के संबंध में निम्नलिखित के प्राप्त न होने पर <ul style="list-style-type: none"> वापसी-आदेश विलम्बित वापसी भुगतान पर व्याज आबंटन सूचना शेयर प्रमाणपत्र उपयुक्त सभी की अनुलिपि (डुप्लिकेट) पुनः वैधता हेतु 	<ul style="list-style-type: none"> सेबी कंपनी कार्य विभाग स्टॉक एक्सचेंज निर्गमों के रजिस्ट्रार
सूचीबद्ध प्रतिभूति के संबंध में निम्नलिखित के बाद प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने पर <ul style="list-style-type: none"> अंतरण प्रेषण रूपान्तरण पृष्ठांकन समेकन विभाजन प्रतिभूतियों की अनुलिपियां 	<ul style="list-style-type: none"> सेबी डीसीए स्टॉक एक्सचेंज
सूचीबद्ध डिबेंचरों के संबंध में निम्नलिखित के प्राप्त न होने पर - <ul style="list-style-type: none"> देय व्याज पुनर्लाभ प्राप्ति विलम्बित भुगतान पर व्याज 	<ul style="list-style-type: none"> सेबी-सेबी कंपनी कार्य विभाग ऋण-पत्रों के ट्रस्टी स्टॉक एक्सचेंज
शेयरों की दोषपूर्ण सुपुर्दगी	स्टॉक एक्सचेंज का अशोध्य सुपुर्दगी कक्ष
गैरसूचीबद्ध कंपनी के शेयरों एवं डिबेंचरों के संबंध में	कंपनी कार्य विभाग
बुजारोपण आदि जैसी सामूहिक निवेश योजना की जमाएं	सेबी
म्यूचुअल फंड की इकाइयां	सेबी
बैंक एवं वित्त कंपनियों में सावधि जमाएं	भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्माणकर्ता कंपनियों में सावधि जमाएं	कंपनी कार्य विभाग

certificates in physical form and your DP will arrange to get them sent to and verified by the company and on confirmation credit your account with an equivalent number of shares. This process is known as de-materialisation. You can always reverse this process if you so desire and get your shares reconverted into paper format. This process is known as re-materialisation.

Share transactions (like sale or purchase and transfer/transmission etc.) in the electronic form can be effected in a much simpler and faster way. All you need to do is that after confirmation of sales/purchase transaction by your broker, you should approach your DP with a request to debit/credit your account for the transaction. The Depository will immediately arrange to complete the transaction by updating your account. There is no need for separate communication to the company to register the transfer.

Grievance Redressal

There will be occasions when you have a grievance against the company in which you are a stake-holder. It may be that you have not received the share certificates on Allotment or on transfer; it may be that you did not receive the dividend/interest warrant or refund order; perhaps you did not receive the Annual accounts etc. while you would first approach the company in that regard, you may not be satisfied with the company's response there to. You would like to know whom you should turn to get your grievance redressed. The following table would provide you the guidance in this regard.

Nature of grievance	Can be taken up with
In case of any Public Issue, non-receipt of <ul style="list-style-type: none"> Refund order Interest on delayed refund Allotment advice Share certificates Duplicates for all of the above Re-validations 	<ul style="list-style-type: none"> SEBI Dept. of Company Affairs Stock Exchange Registrars to the issue
In case of a listed security, non-receipt of the certificates after: <ul style="list-style-type: none"> transfer transmission conversion endorsement consolidation splitting duplicates of securities 	<ul style="list-style-type: none"> SEBI DCA Stock Exchange
Regarding listed Debentures, non-receipt of <ul style="list-style-type: none"> interest due redemption proceeds interest on delayed payment 	<ul style="list-style-type: none"> SEBI Dept. of Company Affairs The Debenture Trustees Stock Exchange
Regarding bad delivery of shares	Bad delivery cell of the stock exchange
Regarding shares or debentures in unlisted companies	Dept. of Company Affairs
Deposits in collective investment schemes like plantations etc.	SEBI
Units of Mutual Funds	SEBI
Fixed Deposits in Banks and Finance Companies	Reserve Bank of India
Fixed Deposits in manufacturing companies	Dept. of Company Affairs

प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 'निवेशक सूचना केंद्रों' की स्थापना की गयी है जो उनके साथ सौदा की गयी/दर्ज की गयी प्रतिभूतियों की शिकायतों के साथ-साथ एक्सचेंज में हुए सौदों तथा एक्सचेंज के संबद्ध सदस्य से संबंधित अन्य सभी तरह की शिकायतों के निपटान का कार्य देखेंगे।

इसके अतिरिक्त निवेशक के पास अपनी शिकायतों के निपटान के लिए हमेशा निम्न दो रास्ते भी मौजूद होते हैं।

- उपभोक्ता विवाद निपटान मंच
- न्यायालय में जाद दायर करना

सेबी के कार्यालय

सेबी-कार्यालय	अधिकार क्षेत्र
प्रधान कार्यालय मिहल कोर्ट, "बी विंग" प्रथम तल, 224 नरिमान पॉइंट मुम्बई - 21	उन कंपनियों के लिए जिनके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली एवं गोवा में पंजीकृत कार्यालय हैं।
अर्नेस्ट हाउस 14 वीं मंजिल, 194, नरिमान पॉइंट, मुम्बई - 21	
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक नं. 1 राजेन्द्रा प्लैस, जिला केंद्र नयी दिल्ली - 8.	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एवं दिल्ली।
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एफ एम सी फॉरटूना पांचवी मंजिल, 3234/3 ए एजेसी बोस रोड, कलकत्ता - 47	असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं त्रिपुरा।
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, डी मोन्टे बिल्डिंग सं. 32, डी मायटे कालोनी, टीटीके रोड, अलवर पेट, चेन्नई - 18.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी

प्रमुख शब्द :

महत्वपूर्णता : किसी सदस्य का दूसरे सदस्य से और किसी सदस्य का उसके ग्राहक, अधिकृत क्लर्क, उप-दलालों इत्यादि से दावों संबंधी मतभेदों, विवादों का नियुक्त मध्यस्थों के द्वारा निपटान। यह एक न्यायिक-प्रक्रिया है जो विवादों के सुलझाने का तीव्र एवं सरल माध्यम है। एक्सचेंज सदस्यों एवं उनके ग्राहकों के बीच मध्यस्थता की सुविधा उपलब्ध करवाता है। जब दोनों पार्टियां मध्यस्थ को स्वीकार कर लेती हैं, तब मामले के महत्वानुसार समुचित मंत्रणा एवं विचार कर अधिनिर्णय प्रदान किया जाता है। भारत में मध्यस्थता "मध्यस्थता एवं निपटान अधिनियम 1996" के द्वारा नियंत्रित होती है।

नीलामी : नीलामी ऐसी क्रियाविधि है जिसे एक्सचेंज प्रतिपक्ष के सदस्य के प्रति अपने-दायित्वों को पूरा करने के लिए तब अपनाता है जब कोई सदस्य अच्छी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी या भुगतान करने में असफल रहता है। नीलामी के द्वारा 'एक्सचेंज' अच्छी प्रतिभूतियों को खरीदकर क्रेता - दलाल को सौंपने की अथवा रोकड़ की वसूली कर विक्रेता - दलाल को सौंपने की व्यवस्था करता है।

अशोध सुपुर्दगी कक्ष : कंपनी की आपूर्ति इत्यादि के कारण जब शेयरों की सुपुर्दगी दोषपूर्ण हो जाती है तब निवेशक संशोधन एवं अच्छी सुपुर्दगी हेतु अपने दलाल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज के "अशोध सुपुर्दगी कक्ष" से सम्पर्क कर सकता है।

बोली एवं प्रस्तावित दर : बोली (विड) शेयर का वह मूल्य है जिसे भावी क्रेता किसी "विशेष स्क्रिप" के लिए देने हेतु तैयार है। प्रस्तावित दर (ऑफर) वह मूल्य है जिस पर शेयर विक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

दलाली : दलाली वह कमीशन है जिसे दलाल अपने माध्यम से होनेवाली खरीद/विक्री संबंधी सौदों के लिए लेता है। सेबी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार वर्तमान में अधिकतम प्रभाविता दलाली लेन-देन मूल्य का 2.5% है।

Investor Information Centres have been set up in every recognised stock exchange which in addition to the complaints to the securities traded/ listed with them, will take up all other complaints regarding the trades effected in the exchange and the relevant member of the exchange.

Moreover two other avenues are always available to the investors to seek redressal of their complaints which are through

- Complaints with Consumers' Disputes Redressal Forums
- Suits in the Court of Law.

Offices of SEBI

SEBI Offices	Jurisdiction
Head Office : Mittal Court, 'B' Wing, 1st Floor, 224 Nariman Point, MUMBAI - 21	For the companies having their Registered offices in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Goa
Earnest House, 14th Floor, 194 Nariman Point, MUMBAI - 21	
Northern Regional Office Block No. 1, Rajendra Place, Dist. Centre, NEW DELHI - 8	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh and Delhi
Eastern Regional Office FMC Fortuna, 5th Floor, 3234/3A AJC Bose Road, CALCUTTA - 47	Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Arunachal Pradesh, Mizoram and Tripura
Southern Regional Office 3rd Floor, D'Monte Bldg., No. 32, D'Monte Colony, TTK Road, Alwarpet, CHENNAI - 18	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu and Pondicherry

KEY TERMS

Arbitration : Settlement of claims, differences or disputes between one member and another and between a member and his clients, authorised clerks, sub-brokers, etc., through appointed arbitrators. It is a quasi-judicial process that is faster and is an inexpensive way of resolving a dispute. The Exchange facilitates the process of arbitration between the members and their clients. After both the parties select the arbitrator and after due deliberation and after considering the merits of the case an award is given. In India, arbitration is governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

Auction : An auction is a mechanism utilised by the Exchange to fulfil its obligation to a counter party member when a member fails to deliver good securities or make the payment. Through auction, the Exchange arranges to buy good securities and deliver them to the buying broker or arranges to realise the cash and pay it to the selling broker.

Bad delivery cell : When a delivery of shares turns out to be bad because of company objection etc., the investor can approach the bad delivery cell of the stock exchange through his broker for correction or replacement with good delivery.

Bid and offer : Bid is the price of a share a prospective buyer is prepared to pay for a particular scrip. Offer is the price at which a share is offered for sale.

Brokerage : Brokerage is the commission charged by the broker for

आगे से जाने वाले लेन-देन (कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग): भारत में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग' का उद्भव हुआ एवं इसका संबंध उस लेन-देन से है जिसमें व्याज-बदला (कंटेंगो चार्ज), जिसमें क्रेता उधार ली गयी राशि पर व्याज या ऊंधा बदला (बैकवर्डेशन चार्ज) जिसमें अल्पकालिक-विक्रेता प्रतिभूतियों के उधार लिए जाने हेतु शुल्क का भुगतान करता है, के भुगतान पर निपटान अगले लेखा-अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

सर्किट ब्रेकर्स : यह ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से एक्सचेंज किसी प्रतिभूति के लेन-देन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देता है-जबकि इसके मूल्य अस्थिर हों और इनमें मूल्य-लोच सीमा को तोड़ने की प्रवृत्ति मौजूद हो।

समाशोधन : समाशोधन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुपक्षीय विस्तार द्वारा सभी सदस्यों के बीच के लेन-देन का निपटान किया जाता है।

कंपनी आपत्ति : निवेशक अंतरण हेतु अपने प्रमाणपत्रों को अंतर विलेख के साथ कंपनी के पास भेजता है। कुछ मामलों में हस्ताक्षर में अंतर होने, शेयरों के जाली/नकली होने या चुराये हुए होने के कारण उनका पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया जाता है, ऐसे मामलों में कंपनी शेयरों को एक पत्र के साथ लौटा देती है, जिसे कंपनी आपत्ति कहते हैं।

सह-बोनस : जब संभावित क्रेता चालू बोनस को लेने का हकदार होता है तब शेयर को सह-बोनस कहा जाता है।

सह राईट्स : जब संभावित क्रेता विद्यमान राईट्स को प्राप्त करने का पात्र होता है तब शेयर को सह-राईट्स कहा जाता है।

दैनिक-आर्डर : एक दैनिक आर्डर जैसा कि इसके नाम से पता चलता है केवल उसी दिन के लिए वैध होता है जिस दिन उसकी प्रविष्टि की जाती है। अगर पूरे दिन के दौरान आदेश का अनुपालन नहीं हो पाता है तब लेन-देन दिवस की समाप्ति पर आदेश स्वयमेव रद्द हो जाता है।

भौतिक स्वरूप का परिवर्तन (डिमाटेरियलाइजेशन) : डिमाटेरियलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शेयरों के भौतिक/पेपर रूप को रद्द कर दिया जाता है एवं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जमा-शेयों के रूप में डिपॉजिटरी की अत्यधिक सुरक्षित-प्रणाली में रख दिया जाता है।

पूर्व-बोनस : शेयर, तब पूर्व बोनस कहा जाता है जब एक संभावित क्रेता चालू बोनस को प्राप्त करने का पात्र नहीं होता है एवं इसका अधिकार विक्रेता के पास ही रहता है।

पूर्व-राईट्स : शेयर को तब पूर्व राईट्स कहा जाता है जब संभावित क्रेता चालू राईट्स को पाने का पात्र नहीं होता है, एवं इनका अधिकार विक्रेता के पास ही रहता है।

बायदा लेन-देन (फॉरवर्ड ट्रेडिंग) : फॉरवर्ड ट्रेडिंग से आशय उस सौदे से है जहां लेन-देन की संविदा आज होती है और उसका भुगतान आज निर्धारित किए गए मूल्य पर ही किसी भावी तारीख को होता है।

अच्छी एवं दोषपूर्ण सुपुर्दगी : वह शेयर प्रमाण-पत्र जो अपने अंतरण-विलेख में विक्रेता से क्रेता को अंतरण किए जाने से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, बाजार में अच्छी सुपुर्दगी कहा जाता है।

वह शेयर प्रमाण-पत्र जो अपने अंतरण-विलेख के साथ विक्रेता से क्रेता को अंतरण किए जाने से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो, उसे बाजार में दोषपूर्ण सुपुर्दगी कहा जाता है।

आंतरिक लेन-देन : कंपनी-शेयरों का लेन-देन किसी ऐसे सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा करना, जो सार्वजनिक रूप से आम-जनता को ज्ञात न होनेवाली मूल्य संबंधी सूचनाएं जैसे - विस्तार योजना, वित्तीय परिणाम, अधिग्रहण बोलियां आदि की जानकारी रखता हो, उस व्यक्ति के कंपनी के साथ जुड़ा होने के कारण कंपनी के शेयरों का लेन-देन आंतरिक लेन-देन कहलाता है।

जम्बो प्रमाण पत्र : जम्बो-शेयर प्रमाण-पत्र बड़ी संख्या में बाजार के शेयरों के समेकन/योगवाला एक संयुक्त प्रमाणपत्र होता है।

मार्केट लॉट : किसी विशिष्ट प्रतिभूति के शेयरों की वह न्यूनतम संख्या बाजार-लॉट शेयर कही जाती है जिनका एक्सचेंज में लेन-देन अवश्य होना चाहिए। बहुगुणित बाजार-शेयरों का भी लेन-देन किया जा सकता है।

नासुपुर्दगी-अवधि : जब कभी कंपनी के द्वारा बही बंद करने या रिकार्ड - तारीख की घोषणा की जाती है तब एक्सचेंज उस प्रतिभूति के लिए नासुपुर्दगी - अवधि निर्धारित करता है। इस अवधि के दौरान उस प्रतिभूति के लेन-देन की अनुमति दी जाती है। तथापि इन लेन-देनों का निपटान नासुपुर्दगी-अवधि के खत्म होने पर ही किया जाता है। यह कारपोरेट लाभों के लिए निवेशकों की पात्रता के स्पष्ट निर्धारण करने हेतु किया जाता है।

विषम-शेयर (ऑड-लॉट) : शेयरों की संख्या जो बाजार शेयरों (मार्केट लॉट) से कम होती है, उसे विषम शेयर (ऑड शेयर) कहते हैं। ये शेयर अंतरल प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनका एक्सचेंज में लेन-देन नहीं किया जा सकता है।

आदेश संचालित लेन-देन : यह लेन-देन निवेशकों/दलालों द्वारा दिए गए खरीद/विक्री-आदेशों से आरंभ होता है।

purchase/sale transaction through him. The maximum brokerage chargeable, as stipulated by SEBI, is at present 2.5% of the trade value.

Carry forward trading : Carry forward trading has evolved in response to local needs in India and it refers to the trading in which the settlement is postponed to the next account period on payment of contango charges (known as 'vyaj badla') in which the buyer pays interest on borrowed funds or the backwardation charges (known as 'undha badla') in which the short seller pays a charge for borrowing securities.

Circuit breakers : It is a mechanism by which Exchanges temporarily suspend the trading in a security when its prices are volatile and tend to breach the price band.

Clearing : Clearing refers to the process by which all transactions between members is settled through multilateral netting.

Company objection : An investor sends the certificate along with the transfer deed to the company for transfer. In certain cases the registration is rejected because of signature difference, or if the shares are fake, forged or stolen etc., In such cases the company returns the shares along with a letter which is termed as a company objection.

Cum-bonus : The share is described as cum-bonus when a potential purchaser is entitled to receive the current bonus.

Cum-rights : The share is described as cum-rights when a potential purchaser is entitled to receive the current rights.

Day order : A day order, as the name suggests, is an order which is valid for the day on which it is entered. If the order is not matched during the day, at the end of the trading day the order gets cancelled automatically.

Dematerialisation : Dematerialisation is the process by which shares in the physical/paper form are cancelled and credit in the form of electronic balances are maintained on highly secure systems at the depository.

Ex-bonus : The share is described as ex-bonus when a potential purchaser is not entitled to receive the current bonus, the right to which remains with the seller.

Ex-rights : The share is described as ex-rights when a potential purchaser is not entitled to receive the current rights, the right of which remains with the seller.

Forward trading : Forward trading refers to trading where contracts traded today are settled at some future date at prices decided today.

Good-bad delivery : A share certificate together with its transfer form which meet all the requirements of title transfer from seller to buyer is called good delivery in the market.

Delivery of a share certificate, together with a deed of transfer, which does not meet requirements of title transfer from seller to buyer is called a bad delivery in the market.

Insider trading : Trading in a Company's shares by a connected person having non-public, price sensitive information, such as expansion plans, financial results, takeover bids, etc., by virtue of his association with that Company, is called insider trading.

Jumbo certificate : A jumbo share certificate is a single composite share certificate formed by consolidating/aggregating a large number of market lots.

Market lot : Market lot is the minimum number of shares of a particular security that must be transacted on the Exchange. Multiples of the market lot may also be transacted.

No-delivery period : Whenever a book closure or record date is announced by a company, the Exchange sets a no-delivery period for that security. During this period, trading is permitted in that security. However, these trades are settled only after the no-delivery period is over. This is done to ensure that investor's entitlement for corporate benefits is clearly determined.

Odd lot : A number of shares that are less than the market lot are known as odd lots. These shares are illiquid in nature, as they cannot be transacted on the Exchange.

काउंडर पर लेन-देन (ओवर द काउंडर ट्रेडिंग) : ऐसे स्टॉक का लेन-देन जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

भुगतान-पाना (पे-इन) : पे-इन-दिवस वह निर्धारित दिवस है जिस दिन सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रतिभूतियों या निधियों का भुगतान दिया जाता है।

भुगतान करना (पे-आउट) : पे-आउट दिवस, वह निर्धारित दिवस है जिस दिन एक्सचेंज के समाशोधन गृह सदस्यों को प्रतिभूतियों और निधियों का भुगतान किया जाता है।

कीमत-लोच सीमा (प्राइम बैंड) : दैनिक/साप्ताहिक कीमत लोच सीमाएं, वे सीमाएं हैं जिनके अन्तर्गत किसी प्रतिभूति की कीमत बढ़ने या गिरने की अनुमति दी जाती है।

कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाना-घटाना : जब किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति/व्यक्तियों से साठ-गांठ करके किसी प्रतिभूति की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने या घटाने का कार्य किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से कीमत को घटाना-बढ़ाना कहते हैं।

दर-संचालित लेन-देन : ऐसा लेन-देन जहां बाजार निर्माता दलाल किसी पत्रक (स्क्रिप) के लिए एक साथ क्रय/विक्रय दरें उद्धृत करते हैं।

रिकार्ड-तारीख : रिकार्ड-तारीख वह तारीख है - जिस तारीख को किसी निवेशक के लाभकारी स्वामित्व को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, ऐसा सदस्य सभी कारपोरेट लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

शेयरों का पुनः प्रत्यक्षीकरण : यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी डिपोजिटरी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों को उनके वास्तविक रूप में बदला जाता है।

स्क्रीन-आधारित लेन-देन : जब प्रतिभूतियों का क्रय/विक्रय कम्प्यूटर के उपयोग के माध्यम से किया जाता है और जब लेन-देन का मिलान-कार्य स्टॉक एक्सचेंज कम्प्यूटर के द्वारा किया जाता है।

समायोजन (सेटलमेंट) : लेन-देन की अवधि के समाप्त होने के बाद किसी दलाल द्वारा किए गए लेन-देन के पत्रक-वार विस्तार को बतलाता है।

समायोजन गारंटी : समायोजन गारंटी वह गारंटी है जो पार्टी के प्रतिभूति सुपुर्द करने या नकद भुगतान करने में चूक होने पर भी सभी लेन-देन के समायोजन के लिए समाशोधन निगम द्वारा प्रदान की जाती है।

विभाजन/समेकन करना : अपेक्षाकृत कम अंकित मूल्य वाले शेयरों में से उच्च-अंकित-मूल्य वाले शेयरों को अलग करने की प्रक्रिया को विभाजन कहा जाता है। उच्च मूल्यवाले शेयर में कम अंकित मूल्यवाले शेयर की मिलन विपरीत प्रक्रिया समेकन कहलाती है।

तत्काल लेन-देन : ऐसा लेन-देन जिसमें शेयरों की सुपुर्दगी और उनका भुगतान उनके क्रय करने की तारीख पर या अगले दिन होता है।

अंतरण रोकना : शेयरों के चोरी हो जाने, गुम जाने आदि पर शेयरों के पंजीकृत धारक द्वारा कम्पनी को शेयरों का अंतरण रोकने के लिए दिए गए अनुदेश।

लेन-देन गारंटी : लेन-देन गारंटी वह गारंटी है जो एक्सचेंज पर निष्पादित सभी लेन-देनों के लिए समाशोधन निगम द्वारा प्रदान की जाती है। इसके विपरीत समायोजन गारंटी बहुपक्षीय विस्तार के बाद लेन-देन के समायोजन की गारंटी देती है।

सुपुर्दगी हेतु लेन-देन : समायोजन के अंतर्गत सम-स्थिति के विपरीत शेयरों की सुपुर्दगी के आशय से किया गया लेन-देन।

अंतरण विलेख : अंतरण विलेख वह प्रपत्र है जो शेयरों या डिबेंचरों के अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो एक निश्चित अवधि तक वैध होता है। इसे अंतरण के पंजीकरण हेतु शेयर प्रमाण-पत्र के साथ कंपनी को भेजा जाना चाहिए। अंतरण विलेख विधिवत् स्टैम्प युक्त और अंतरण कर्ता और अंतरिती द्वारा या उनकी ओर से विधिवत् हस्ताक्षरित तथा सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।

संदेश-सम्प्रेषण : संदेश सम्प्रेषण वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूतियों का स्वामित्व मृतक के कानूनी वारिस/वारिसों को अंतरित किया जाता है।

इस पुस्तिका में निवेशकों की सहायता के लिए प्रारंभिक जानकारी दी गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अधिक विवरणों एवं स्पष्टीकरण के लिए अधिनियम, नियम एवं विनियमों को देखें और उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि इस पुस्तिका का अभिप्राय किसी तथ्य-विशेष के संदर्भ में लागू विधियों या नियमों का स्पष्टीकरण देना नहीं है। तथ्य-विशेष से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निर्वचनों, प्रशासनिक निर्णयों व न्यायालय की कार्यवाहियों पर निर्भर करते हैं। हालांकि इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। फिर भी इसमें रह गई भूल-चूक के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं है।

Order driven trading : It is a trading initiated by buy/sell orders from investors/brokers.

Over the counter trading : Trading in those stocks which are not listed on a stock exchange.

Pay-in : Pay-in day is the designated day on which the securities or funds are paid in by the members to the clearing house of the Exchange.

Pay-out : Pay-out is the designated day on which securities and funds are paid out to the members by the clearing house of the Exchange.

Price band : The daily/weekly price limits within which price of a security is allowed to rise or fall.

Price rigging : When a person or persons acting in concert with each other collude to artificially increase or decrease the prices of a security, that process is called price rigging.

Quote driven trading : Trading where brokers/market makers give buy/sell quote for a scrip simultaneously.

Record date : Record date is the date on which the beneficial ownership of an investor is entered into the register of members. Such a member is entitled to get all the corporate benefits.

Rematerialisation of shares : It is the process through which shares held in electronic form in a depository are converted into physical form.

Screen based trading : When buying/selling of securities is done using computers and matching of trades is done by a stock exchange computer.

Settlement : It refers to the scrip-wise netting of trades by a broker after the trading period is over.

Settlement guarantee : Settlement guarantee is the guarantee provided by the clearing corporation for settlement of all trades even if a party defaults to deliver securities or pay cash.

Splitting/Consolidation : The process of splitting shares that have a high face value into shares of a lower face value is known as splitting. The reverse process of combining shares that have a low face value into one share of higher value is known as consolidation.

Spot trading : Trading by delivery of shares and payment for the same on the date of purchase or on the next day.

Stop transfer : The instruction given by a registered holder of shares to the company to stop the transfer of shares as a result of theft, loss etc.

Trade guarantee : Trade guarantee is the guarantee provided by the clearing corporation for all trades that are executed on the Exchange. In contrast the settlement guarantee guarantees the settlement of trade after multilateral netting.

Trading for delivery : Trading conducted with an intention to deliver shares as opposed to a position that is squared off within the settlement.

Transfer deed : A transfer deed is a form that is used for effecting transfer of shares or debentures and is valid for a specified period. It should be sent to the company along with the share certificate for registering the transfer. The transfer deed must be duly stamped and signed by or on behalf of the transferor and transferee and complete in all respects.

Transmission : Transmission is the lawful process by which the ownership of securities is transferred to the legal heir/s of the deceased.

The booklet contains basic information to help the investors. The readers are requested to refer to the specific acts, rules and regulations for exact details and clarifications and are reminded that this booklet does not purport to explain the laws or rules in force, with respect to any particular fact pattern. Answers to questions involving particular facts depend upon interpretations, administrative decisions and court actions. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the information contained, the Board assumes no liability for any errors or omission of information in this booklet.

निवेशकों के हितों में उनकी जानकारी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा प्रकशित, मुद्रित एवं परिचालित

Published, printed and circulated by Securities and Exchange Board of India in the interest of investors' education